



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 3518 सन् 2026

विकास पाण्डेय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अस्तित्व श्रीवास्तव,
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

पंकज कुमार श्रीवास्तव, सस्मिता श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अस्तित्व श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 26.07.1999 को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और जब वह कर्तव्यों का पालन कर रहा था, तो रिट याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था कि उसने मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया और जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत के हस्ताक्षर के अधीन 05.06.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 की धारा 256(1), 257(2), 259(1) और 259(2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2018-19 की अवधि से संबंधित रिट याचिकाकर्ता से उसके कृत्यों और चूकों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।
3. उसी पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका संस्थित की गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि यद्यपि इसे कारण बताओ नोटिस कहा गया है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले के द्वारा पहले से ही निर्णय ले लिया गया है और मामला तय कर दिया गया है, विशेष रूप से, जब एक बार कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले ने स्वयं निर्णय लिया है कि ब्याज के साथ वित्तीय दायित्व रिट याचिका पर लगाया जाना है, तो कारण बताओ नोटिस जारी करने का उद्देश्य एक



खोखली औपचारिकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य; 2006 (13) एससीएलई, 297, मैसर्स बीसीआईटीएस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी और एक अन्य रिट-सी संख्या 15363 सन् 2022, 26.05.2022 को निर्णीत की गई और के.के. कांजिला बनाम भारत संघ और अन्य; सिविल विविध रिट याचिका संख्या 40396 सन् 2011, 31.01.2013 को निर्णय दिया गया में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है; इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि कारण बताओ नोटिस में निहित कथन कि रिट याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, जिनकी मांग की गई थी, गलत हैं, विशेष रूप से, जब उक्त दस्तावेज रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सबसे पहले रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष वर्ष-2026 में अर्थात् 10.03.2026 को प्रस्तुत की गई है और दिनांक 05.06.2025 को कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत किया गया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के लिए कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करना हमेशा खुला है, यदि यह प्रस्तुत नहीं किया गया है और यदि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, कुछ पूर्व-निर्धारण होता है, तो इसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस पर प्रस्तुत उत्तर के अधीन अनंतिम माना जा सकता है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अवलोकन किया है।

7. जाहिर है, रिट याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1947 के नियम 259 (1), 257 (2) के साथ सपठित नियम 256 (1) के अधीन वर्ष 2017-18 के लिए लेखा-परीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। कारण बताओ नोटिस 05.06.2025 को जारी की गई थी जो इस प्रकार है:

"कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांक 1392/7-पंचायत/ ऑडिट लि0/2025-26

(नियम-256(1) के अन्तर्गत अधिभार नोटिसस्पष्टीकरण जारी करने हेतु)

दिनांक 5.6.25

अधिभार नोटिस / स्पष्टीकरण

श्री विकास पाण्डेय

तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी,

द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-मरौरी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम-256 (1) के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाये गये दुरुपयोग, अपव्यय अथवा क्षति के सम्बन्ध में अधिभार प्रतिवेदन (वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19) प्रेषित किया गया है (प्रति संलग्न)

क० सं०	वार्षिक लेखा प्रितवेदन संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	सन्निहत धनराशि
1	69	पस्तौरा कुईयां	बिलराण्डा	8,47,470.00
2	70	घनश्यामपुर	बिलराण्डा	11,49,641.00
3	86	कुरैया कला	पूरनपुर	12,25,505.00
4	87	चरखौला	बिलराण्डा	7,31,608.50
5	88	दौलतपुर ता० चांदपुर	पूरनपुर	2,19,172.50
6	89	बेहटा	बिलसंण्डा	3,10,412.00
7	90	मार	बिलसंण्डा	13,55,351.00

1- नियम 266 (1) के तहत उक्त अधिभार प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण इस अधिवाचन के संसूचित होने के दो माह के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे, अथवा

2-नियम 257(2) के अन्तर्गत आपसे उक्त धनराशि के भुगतान की अपेक्षा की जायेगी। नियम 259 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में अधिभारित धनराशि का भुगतान न करने की दशा में नियम-259 (2) के अन्तर्गत अधिभारित धनराशि को मालगुजारी के चकार्य के रूप में वसूल किया जायेगा।

उक्त के कम में आपको कारण बताओं नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तवत् परिपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त परिपालन आख्या को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें लेखा, पीलीभीत को अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रेषित की जा सके। यदि आपके द्वारा एक पक्ष के अन्दर उक्त परिपालन आख्या अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाते है। तदनुसार व्याज सहित वसूली की कार्यवाही करते हुए विभागीय / विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(रोहित भारती)

जिला पंचायत राज अधिकारी,

पीलीभीत।"

8. आक्षेपित आदेश पर एक नज़र डालने से पता चलेगा कि लेखा-परीक्षण आख्या के आधार पर, यह पाया गया कि **अनियमितताएं** हुई हैं और रिट याचिकाकर्ता को मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और यह भी प्रदान किया गया था कि यदि दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं तो ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।

9. न्यायालय की राय में, कारण बताओ नोटिस में प्रयोग की गई भाषा रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने से पहले पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं हो सकती है। वास्तव में, कारण बताओ नोटिस का अर्थ यह प्रकट करना होता है कि इसमें वह कितनी राशि शामिल है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि नोटिस प्राप्तकर्ता उस संबंध में आरोपों का खंडन करते हुए अपना उत्तर दे सके।

10. फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि कारण बताओ नोटिस स्वयं रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध निर्णय देता है और उस संबंध में दायित्व को मजबूत करता है। जहां तक रिट याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार भरोसा किए गए निर्णय का संबंध **मेसर्स सीमेंस लिमिटेड (उपरोक्त), मैसर्स बीसीआईटीएस प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर (उपरोक्त) और केके कंजिला (उपरोक्त)** का संबंध है, इसमें निर्धारित विधिव्यवस्था के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यद्यपि, कारण बताओ नोटिस में निहित बातें कहीं भी यह नहीं दर्शाती हैं कि इसमें कोई पूर्व-निर्धारण शामिल है।

11. अन्यथा भी, कारण बताओ नोटिस 05.06.2025 को जारी किया गया था और यह ऐसा मामला नहीं है कि कारण बताओ नोटिस किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था जो इसे जारी करने में सक्षम नहीं है और आगे वर्तमान रिट याचिका लगभग एक वर्ष की अवधि के बाद 10.03.2026 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, न्यायालय वर्तमान मामले को उस संबंध में हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. फिर भी, यदि कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और रिट याचिकाकर्ता के लिए सभी विधिक और तथ्यात्मक आधार लेते हुए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का विकल्प हमेशा खुला है और एक बार जब कोई आधार प्रस्तुत कर दिया जाता है तो न्यायालय के पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है, और तब उस आधार पर विधि के अनुसार ही सख्ती से विचार किया जाएगा।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

मार्च 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"